न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 06 / 22 **वर्ष 2022**

जीसीएम संख्या :–2022 / 62

बउनवानीः–1. श्रीमति बसन्ती पत्नि लखन लाल कंजर निवासी कंजर कॉलोनी,चौथ का बरवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव,ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच,ग्राम पंचायत, चौथ का बरवाडा
3. रामगोपाल पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम विजयपुरा हाल निवासी चौथ का बरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 77 दिनांक 24.11.2021 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय — वकील प्रार्थी

2. विनोद कुमार अग्रवाल — वकील अप्रार्थी–1

–: निर्णय :– **दिनांक 24.5.2022**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा जारी पटटा संख्या 77 निर्णय दिनांक 24.11.2021 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि पावडेरा रोड़ पर प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ख0न0 702, 703 के सहारे स्थित ख0न0 719 रकबा 0.03 है0, ख0न0 720 रकबा 0.28 है0 स ख0न0 721 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.41 है0 भूमि जिसका खातेदार राजाराम था तथा उक्त खातेदार से श्री हरीश राजोरा द्वारा क्रय कर उक्त भूमि की आवासीय प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित करवायी गयी जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पटटे जारी किये गये है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 702 व 703 के सहारे के भूखण्ड संख्या 1 व 17 को रिजर्व भूमि के रूप मे दर्शाते हुए प्रोपर्टी डीलर द्वारा सभी भूखण्डो का विक्रय कर दिया गया था किन्तु बाद मे उक्त भूखण्ड 1 ए, 1 बी, व 17 बी, ओर बना कर इन्हे अप्रार्थी रामगोपाल को विक्रय कर दिया तथा अप्रार्थी रामगोपाल द्वारा ग्राम पंचायत से मिली भगत कर [illegible]तावित नक्शे के विपरीत जाकर दिनांक 5.9.2019 को नया पटटा ब[illegible] कर दिया। उक्त पटटे के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाध[illegible] मे निगरानी पेश की गयी जो विधिविरूद्व तरीके से खारिज की [illegible] माननीय उच्च न्याय[illegible] रिट याचिका लम्बित है। यह तर्क भी दिया कि अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निगरानी खारिज हो जाने के बाद अप्रार्थी द्वारा पुनः मौके पर शेष खाली भूमि उत्तर दक्षिण 65 फीट व पूर्व पश्चिम उत्तरी कोने पर 0 वर्ग फीट तथा दक्षिणी कौने पर 17.6 फीट भूमि को अपनी पुरानी कब्जे की भूमि दर्शाते हुए आवेदन कर ग्राम पंचायत चौथ क बरवाडा से दिनांक 24.11.2021 को पुनःपटटा बनवा लिया जबकि उक्त भूमि उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कन्वर्जन आदेश दिनांक 19.12.2014 के अनुसार संलग्न नक्शा मे रिजर्व लेण्ड के रूप में दर्शाया गयी थी तथा उक्त आरक्षिमत 40 प्रतिशत क्षेत्र पर पटटा जारी नही किया जा सकता है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.9.2021 के आवेदन पत्र में उसके पुराने कब्जे का भूखण्ड होने के कारण उक्त भूखण्ड का पटटा जारी करने बाबत लिखा गया था। जबकि उक्त भूखण्ड प्रोपर्टी डीलर द्वारा दिनांक 15.7.2019 को आवासीय प्रर्योजनार्थ परिवर्तित करवाया गया था। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 702 व 703 की मेड पर प्रार्थीया का काफी पुराना बोरवेल है जिसमे मोटर डालकर विधुत कनेक्शन लिया हुआ है जिससे अपने खेतो की सिचाई करती आ रही है इस प्रकार विवादित पटटे से संबंधित भूखण्ड प्रार्थीया के कब्जे एवं उपयोग की भूमि है। यह तर्क भी दिया कि विवादित आदेश की आड़ मे अप्रार्थी द्वारा दिनांक 24.3.2022 को उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य चालू करने पर ग्राम पंचायत मे मालूम करने पर प्राप्त हुआ है। अतः जानकारी से नकल प्राप्त होने की अवधि से निगरानी प्रार्थना पत्र मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अन्दर मयाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किय जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि मुझ अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष दिनांक 25.3.2021 को पावंडेरा रोड पर मेरे पूर्व पटटा संख्या 65 पर बने हुए मकान के पूर्व दिशा मे चरपेटा से सरकारी भूमि ख0न0 722 गै0मु0 आबादी मे मेरी कब्जेशुद्वा भूपटटी का पटटा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ नक्शा भी संलग्न किया गया था जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 1391 दायर दिनांक 25.3.2021 तैयार की जाकर पटटा जारी करने हेतु विधिवत आपत्ति नोटिस क्रमांक 726 दिनांक 25.3.2021 को जारी किया गया तथा अन्दर मयाद किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर मौका निरीक्षण हेतु सदस्य नियुक्त किये जाकर दिनांक 5.8.2021 तक मौका रिपोर्ट चाही जाने पर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शानुसार मौका स्थिति पायी जाने पर मौका स्थिति की रिपोर्ट निरीक्षण दल द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर पंचायत कौरम मे सर्व सम्मति से अप्रार्थी को उक्त भूपटटी साईज 17.6 x65.0=568.9 वर्ग फीट का पटटा डी.एल.सी दर से कुल रूपये राशि 2,16,750/—रू पंचायत विकास शुल्क तथा 200/—रू पटटा फीस अलग से ली जाकर पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण [illegible]रा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने के [illegible] किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी रामगोपाल के पक्ष मे ख0न0 722 गै0मु0 आबादी भूमि की भूपटटी साईज 17.6 X65.0=568.9 वर्गफीट का पटटा डी.एल. सी दर से कुल रूपये राशि 2,16,750/– रू पंचायत विकास शुल्क तथा 200/–रू पटटा फीस जमा करवाये जाने पर पटटा संख्या 77 निर्णय दिनांक 24.11.2021 जारी किया गया है। किन्तु वकील प्रार्थीया के कथनानुसार उक्त पटटे की भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख0न0 702 व 703 के सहारे की भूमि है जिस पर प्रार्थीया द्वारा काफी समय पूर्व से टयूबवेल लगा रखा है जिससे अपनी खातेदारी भूमि पर सिचाई करती है तथा उक्त पटटे की भूमि/भूखण्ड प्रोपर्टी डीलर द्वारा कन्जर्वजन आदेश के साथ संलग्न नक्शे को बदलकर 40 प्रतिशत आरक्षित भूमि मे से निकाले गये है। इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि पर जारी पटटा संख्या 77 को अवैध है। उक्तानुसार किये गये कथन के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया जिसके आधार पर अप्रार्थी को जारी पटटे की भूमि ख0न0 722 पर उसका मालिकाना हक सिद्व हो सके। चूंकि पटटा संख्या 77 की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी की भूमि थी जिस पर ग्राम पंचायत को नियमानुसार पटटा जारी करने का अधिकार है। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही यथा आपत्ति नोटिस जारी करना, मौका रिपोर्ट मगंवायी जाकर, पंचायत कौरम के समक्ष सर्वसम्मति से निर्धारित शुल्क जमा करवाने का निर्णय लेते हुए पटटा जारी करने का आदेश पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(3).....

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:03 IST
Reason: SelfAttested